न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 11278 / 2001 / झुंझनू

माना दत्तक पुत्र उदमी
समस्त निवासी नालपुर तहसील खेतडी जिला झुंझनू।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– ओमप्रकाश मृतक जरिये वारिसान :–
1/1– कृष्णादेवी पत्नी ओमप्रकाश
1/2– जयप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश
2– जोरावर पुत्र मानकौर
3– सत्यवीर पुत्र मानकौर
4– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मानकौर
समस्त जाति जाट निवासी डीगावान तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
5– धनकौर पुत्री मानकौर पत्नी मनफूलसिंह
6– शांति पुत्री मानकौर पत्नी भीमसिंह
7– धर्मा पुत्री मानकौर पत्नी प्रभु
समस्त जाति जाट निवासी नया गॉव रोहतक (हरियाणा)
8– मायादेवी पुत्री मानकौर पत्नी सत्यवीर जाट निवासी ग्राम डोली तहसील खेतडी जिला झुंझनू।
9– प्रहलाद पुत्र पन्नाराम, जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतडी जिला झुंझनू।
10– मंगलाराम पुत्र पन्नाराम (मृतक) जरिये वारिसान :–
10/1– सत्यवीर पुत्र मंगलाराम
10/2– शिवभगवान पुत्र मंगलाराम
10/3– नेतराम पुत्र मंगलाराम
10/4– भरपाई पुत्री मंगलाराम
10/5– सावित्री पुत्री मंगलाराम
10/6– संतोष पुत्री मंगलाराम
10/7– कमलेश पुत्री मंगलाराम
11– चिरंजीलाल पुत्र नानगराम समस्त जाति जाट निवासी नारपुर तहसील खेतडी जिला झुंझनू।
12– मातादीन पुत्र प्रहलाद
13– रामअवतार पुत्र प्रहलाद
14– खुशीराम पुत्र प्रहलाद

अपील डिक्री / टी.ए. / 11278 / 2001 / झुंझनू
माना बनाम ओमप्रकाश (मृतक)
विधिक उत्तराधिकारी

15– महीपाल पुत्र प्रहलाद
समस्त जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतडी जिला झुंझनू।
.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री सतीश पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री ओ. एल. दवे, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 लगायत 10
श्री सुनील गर्ग, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11 लगायत 15

दिनांक : 10 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–12–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–19/96 शीर्षक विशाल आदि बनाम ओमप्रकाश आदि को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान अपीलान्टस ने एक दावा संख्या–81/71 अन्तर्गत धारा–88–183 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, शीर्षक विशाल आदि बनाम मानकौरी आदि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतडी के समक्ष दिनांक 23–11–1971 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा के पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि उदमी पुत्र खांगा के खाते की भूमि है (जिसे निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) उदमी ने मिती भादवा बदी 12 संवत 2023 को अथवा उसके करीब वादी संख्या–2 को गोद लिया है। इसके साथ साथ यह भी कथन किया कि उदमी ने दिनांक 8–2–1970 को अथवा उसके आसपास अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित कर दी है। उदमी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या–184 दिनांक 29–3–1970 को ग्राम पंचायत नालपुर द्वारा मृतक उदमी की दो बहनों प्रतिवादी संख्या–1 व प्रतिवादी

संख्या–2 के नाम से स्वीकृत कर दिया है जिसका Record of Right में अंकन भी हो गया है। वादी संख्या–1 के पक्ष में मृतक उदमी ने एक वसीयत निष्पादित की है तथा वादी संख्या–2 मृतक उदमी का गोद पुत्र है। इसलिये वादी संख्या–1 व 2 मृतक उदमी की विवादग्रस्त भूमि के उत्तराधिकारी हैं। ग्राम पंचायत ने इन्तकाल संख्या–184 स्वीकृत करने में त्रुटि की है। इसलिये दावा स्वीकार कर वादीगण अथवा न्यायालय, जिसे उचित समझें मृतक उदमी की विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। इसलिये उन्हें बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। दावा प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। दावा व जवाबदावा के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–1972 को 8 तनकी बनाई गई। तनकी नम्बर–5 ''अदालत हाजा को इस्तकरार गोद व वसीयतनामे में उक्त दावा का समाअत का अधिकार नहीं है'' बनाई गई। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–7–1974 के द्वारा आदेश पारित किया कि तनकी नम्बर–5 को निर्णित करने हेतु प्रकरण सिविल न्यायालय को प्रेषित किया जावे। विद्वान न्यायालय सिविल, न्यायाधीश खेतडी ने सिविल वाद संख्या–100/89 (पुराना नम्बर–50/74) शीर्षक विशाल आदि बनाम मनकौरी को अपने निर्णय दिनांक 30–4–1990 से निर्णित करते हुये आदेश पारित किया कि तनकी नम्बर–5 को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है तथा प्रकरण वापिस उप खण्ड अधिकारी, खेतडी को लौटा दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने दावा को पुनः दर्ज करते हुये दावा का नया नम्बर–83/90 दर्ज किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी को निर्णित करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–1996 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। वादीगण / अपीलान्टस ने विद्वान उप खण्ड अधिकारी, खेतडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–1996 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या–19/96 शीर्षक विशाल बनाम ओमप्रकाश, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–12–1997 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, खेतडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–1996 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–12–1997 से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– इस अपील के जैरकार रहते अपीलान्ट संख्या–1 विशाल पुत्र अर्जुन की मृत्यु हो गयी। निर्धारित समय में मृतक अपीलान्ट संख्या–1 के

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 11278 / 2001 / झुंझनू</u>
माना बनाम ओमप्रकाश (मृतक)
विधिक उत्तराधिकारी

विधिक उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित नहीं करने पर एक प्रार्थना पत्र रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 12–12–2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मृतक अपीलान्ट संख्या–1 विशाल की हद तक अपील Abate हो गयी है। राजस्व मण्डल की विद्वान खण्ड–पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 29–5–2018 के द्वारा मृतक अपीलान्ट संख्या–1 की हद तक अपील को Abate कर दिया। तत्पश्चात संशोधित मीमों प्रस्तुत किया गया। अब अपील केवल अपीलान्ट संख्या–2 की हद तक प्रस्तुत की गयी है। संशोधित अपील मीमों में माना दत्तक पुत्र उदमी अपीलान्ट संख्या–1 है।

4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट संख्या–1 माना का मुख्य तर्क यह है कि मृतक उदमी ने उसे गोद ले लिया था। गोद के संबंध में एक गोदनामा प्रदर्श–1 मिति भादवा बदी संवत 2023 निष्पादित किया गया। इस गोदनामा पर गोददाता विशालराम तथा गोदग्रहिता उदमी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श–1 को साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित करवाया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 की प्रथम सूची के अनुसार मृतक हिन्दू का पुत्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। मृतक उदमी की बहनें जिसके नाम से इन्तकाल संख्या–184 स्वीकृत किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 की द्वितीय सूची के अनुसार द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने पर द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्जित किये गये थे, परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें तथा वादी / अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि गोदनामा पूर्ण रूप से साबित नहीं है। गोदनामा गवाहों के बयान एक दूसरे के विपरीत है। गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है। जब गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है तो गोदनामा से संतोष से परे साबित करने का दायित्य वादी / अपीलान्ट पर है। परन्तु वह गोदनामा साबितकरने में पूर्णतया असफल रहा है। प्रदर्श–1 गोद पत्र धारा–9 अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं। धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम

से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8– इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि दावा में वर्णित विवादग्रस्त भूमि उदमी पुत्र खागा के खाते की भूमि है। वादीगण / अपीलान्ट मृतक उदमी की खाते की भूमि को गोद पत्र तथा वसीयत के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं। वादी संख्या–1 / अपीलान्ट संख्या–1 की हद तक अपील दिनांक 29–5–2018 को Abate कर दी गयी है। इसलिये वर्तमान केवल वादी संख्या–2 / अपीलान्ट माना की हद तक ही है। वह वसीयत के आधार पर मृतक उदमी की भूमि प्राप्त करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट मृतक उदमी के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से अंकित है। वसीयत के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर–1 ‘‘क्या भादवा बदी संवत 2023 को या उसके करीब उदमी ने माना प्रतिवादी संख्या–2 को गोद लेकर हस्तरिवाज जाति अपना दत्तक पुत्र बनाया और उसके पिता विशाल वादी नम्बर–1 ने गोद दिया’’ बनाई गई। इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी / अपीलान्ट पर था। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तनकी का निर्णय वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध किया है। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श–1 गोदनामा का अवलोकन किया गया। यह गोदनामा मिती भादवा बदी संवत 2023 को निष्पादित किया जाना प्रतीत होता है। इस गोद पत्र पर गोददाता विशालराम व गोदग्रहिता उदमी के हस्ताक्षर / अंगूठा है। हिन्दू दत्तक एवं भरण–भोषण अधिनियम 1956 (21 दिसम्बर–1956) को प्रभावशील हुआ (जिसे निर्णय में संक्षिप्त नाम अधिनियम 1956 कहा गया है) धारा–5 अधिनियम 1956 के तहत अधिनियम 1956 प्रभावशील होने के पश्चात दत्तक इस अधिनियम के प्रावधान के तहत निष्पादित किया जा सकता है।

Sec-5 of act 1956 is here by re-produced as under :--

5. Adoptions to be regulated by this Chapter. - (1) No adaption shall be made after the commencement of this Act by or to a Hindu except in accordance with

the provisions contained in this Chapter, and any adoption made in contravention of the said provisions shall be void.

9– धारा–9 अधिनियम 1956 के तहत दत्तक देने में कौन सक्षम है, वर्णित किया गया है। धारा–9 के तहत केवल पिता अथवा माता अथवा संरक्षक गोद देने में सक्षम है। अगर बच्चे का पिता जिन्दा है तो केवल पिता ही बच्चे को गोद दे सकता है। परन्तु गोद देने में बच्चे की माता की सहमती आवश्यक है। प्रदर्श–1 गोदनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह गोदनामा गोददाता वादी संख्या–2 / अपीलान्ट विशालराम के द्वारा निष्पादित किया गया है। परन्तु इस गोदनामा में गोद पुत्र माना की माता की सहमती नहीं है, जो कि धारा–9 के तहत आज्ञात्मक है। माता की सहमती के बिना गोदनामा शून्य है। यद्यपि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नम्बर–1 का निर्णय गोदनामा साबित नहीं होने के कारण वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नम्बर–1 का निर्णय निर्णित करते समय धारा–9 अधिनियम 1956 के प्रावधान को नजरअन्दाज किया है। चूंकि यह प्रावधान एक विधि का बिन्दू है जिसे किसी भी स्तर पर न्यायालय देख सकता है। धारा–9 अधिनियम 1956 is here by re-produced as under :--

> 9. Persons capable of giving in adoption. - (1) No person except the father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption.
>
> (2) Subject to the provisions of [sub-section (3) and sub-section (4)] the father, if alive, shall alone have the right to hive in adoption, but such right shall not be exercised save with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a Court of competent jurisduction to be of unsound mind.

10– तनकी नम्बर–1 का निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध किया गया है। तनकी नम्बर–1 पर पारित दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखते हुये धारा–9 अधिनियम 1956 के तहत भी वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध इस

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 11278 / 2001 / झुंझनू</u>
माना बनाम ओमप्रकाश (मृतक)
विधिक उत्तराधिकारी

आधार पर भी किया जाता है कि वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 गोदनामा धारा–9 अधिनियम 1956 के विपरीत होने के कारण शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर वादी / अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

तनकी नम्बर–3 :– क्या वादी नम्बर–1 वसीयत के आधार पर व वादी नम्बर–2 गोदनामा के आधार पर उदमी के वारिस है व इसका भूमि पर क्या असर है।
.....वादी

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तनकी का निर्णय वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किया है। वसीयत के संबंध में प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वादी संख्या–1 / अपीलान्ट संख्या–1 की हद तक अपील Abate हो चुकी है। गोद पत्र प्रदर्श–1 धारा–9 अधिनियम 1956 के प्रावधान के विपरीत होने के कारण शून्य दस्तावेज है। शून्य दस्तावेज से वादी / अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिये वादी / अपीलान्ट मृतक उदमी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है।

तनकी नम्बर–5 :– अदालत हाजा का इस्तकरार गोद व वसीयतनामा में उक्त दावा का समाहत का अधिकार नहीं है।
.....प्रतिवादी

इस तनकी का निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दावा राजस्व मण्डल द्वारा संधारण योग्य माना है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है।

11– उपरोक्त निष्कर्षानुसार वादी / अपीलान्ट प्रदर्श–1 गोद पत्र के आधार पर अधिकारों की घोषणा तथा बेदखली का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु प्रदर्श–1 गोद पत्र धारा–9 अधिनियम 1956 के प्रावधान के विपरीत होने के कारण एक शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर वादी /

अपील डिक्री / टी.ए. / 11278 / 2001 / झुंझनू

माना बनाम ओमप्रकाश (मृतक)
विधिक उत्तराधिकारी

अपीलान्ट अधिकारों की घोषणा एवं बेदखली का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती रूप से निर्णय एवं डिक्री वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

12– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष